बवाल ▶ नरसिंहपुर एक्सीडेंट को लेकर जबलपुर में बवाल, शवों को रखकर प्रदर्शन, हत्या की एफआईआर, गिरफ्तारी व मुआवजे की मांग

चक्काजाम, आक्रोशित लोग बोले डंपर से कुचल कर हुई 5 हत्याएं

नवभारत, जबलपुर। नरसिंहपुर जिला, सुआतला थाना अंतर्गत इंद्रा नगर हाथीनाला के सामने एनएच 45 में रविवार शाम बेकाबू डंपर ने रौंदते हुए पांच युवकों को मौत की नींद सुला दिया है। सोमवार को पीएम के बाद मृतकों के शव जैसे ही उनके गृह ग्राम बेलखेड़ा पहुंचे तो परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा।

बेलखेड़ा पावला तिराहा में आक्रोशित परिजनों ने शवों को रखकर चक्काजाम कर दिया और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। सड़क जाम कर धरने पर बैठे गुस्साएं लोगों ने कहा कि यह एक्सीडेंट नहीं, हत्या है। सुनियोजित तरीके से साजिश रचते हुए हत्याएं की गई है। चक्काजाम किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और आक्रोशिजनों को आश्वासन देते रहे लेकिन वे आरोपियों पर हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने, आरोपियों की गिरफ्तारी, मुआवजे की मांग पर अड़ गए। सूचना मिलते ही नरसिंहपुर से भी एएसपी संदीप भूरिया, टीआई प्रियंका केवट पहुंचे जिसके बाद मौके पर ही परिजनों, गवाहों के बयान दर्ज किए गए। कार्रवाई का आश्वासन दिया गया जिसके बाद आक्रोशितजन माने और शवों को अंतिम संस्कार के लिए लेकर रवाना हुए।

क्या है मामला

विदित हो कि रविवार देर शाम सुआतला थाना अंतर्गत इंद्रा नगर हाथीनाला के सामने जबलपुर की ओर से आ रहे बिना नंबर के एक तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़े आधा दर्जन से अधिक लोगों को बेरहमी से कुचल दिया था। जबकि वहां मौजूद दुकानदारों ने डंपर चालक को रोका था लेकिन वे नहीं माना और जानबूझकर उसने एक्सीडेंट किया था। हादसे में वीरेन्द्र सिंह लोधी पिता छोटेलाल लोधी 20 वर्ष, राजेन्द्र लोधी, राजपाल पिता नरबल सिंह लोधी, तीनों निवासी पावला, बेलखेड़ा, जयपाल पिता पंचम सिंह लोधी 30 वर्ष निवासी बरपटी थाना बेलखेड़ा, नीरज पिता मालक सिंह 25 वर्ष की मौत हो गई। जबकि आकाश पिता कल्याण सिंह लोधी 24 वर्ष, घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

चार थानों और पुलिस लाइन से फोर्स पहुंचा - तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए चार थानों भेड़ाघाट, तिलवारा, पाटन, बेलखेड़ाऔर पुलिस लाइन से फोर्स पहुंच गया था। पुलिस परिजनों को समझाइश देने और चक्काजाम खुलवाने का प्रयास कर रही थी। पुलिस टीम के हाथ पैर फूल गए थे लेकिन आक्रोशितजन मानने तैयारी नहीं थे हालांकि बाद में वे मान गए थे ।

12 :21 बजे से शुरू प्रदर्शन, 3 :19 बजे तक चला

सोमवार दोपहर 12 बजे पावला तिराहे में भीड़ जुटने लगी थी । प्रदर्शन की खबर पुलिस तक भी पहुंच गई थी। जिसके चलते पुलिस सक्रिय हो गई थी। पीएम के बाद जैसे ही शव परिजनों को सौंपे गए तो दोपहर करीब 12:21 बजे परिजन बड़ी संख्या में वाहन में शवों को लेकर पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर धरने पर बैठ गए। मौके पर एसडीओपी पाटन लोकेश डाबर, एएसपी सूर्यकांत शर्मा पहुंचे जिन्होंने आक्रोशजिनों को समझाइश दी लेकिन वे मानने तैयार नहीं थे। मामले ने तूल पकड़ा तो नरसिंहपुर एएसपी संदीप भूरिया, टीआई प्रियंका केवट पहुंचे उन्होंने बयान दर्ज किए। कार्रवाई का आश्वासन दिया। दोपहर करीब 3:19 बजे आक्रोशितजन माने। जिसके बाद चक्काजाम जाम समाप्त हुआ। चक्काजाम से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारे लगी हुई थी। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया।

शिकायतें की थीं, कार्रवाई के शक में हुई हत्याएं

आशीष मिश्रा ने बताया कि राजेन्द्र लोधी उनका करीबी दोस्त था। विगत दिवस उसने अवैध रेत कारोबार से जुडी शिकायतें भी की थी। जिला प्रशासन की खनिज विभाग की टीम ने पावला में कार्रवाई भी की थी। रेत उत्खनन से जुड़े वाहनों को भी पकड़ा था। ये कारोबार आनंद ठाकुर का था शक के चलते हत्याएं करवाई गई है जो डंपर जब्त हुआ वे भी आनंद ठाकुर का ही है।

बेकाबू नहीं था हाईवा, साजिश के तहत पीछे से कुचला

चश्मदीद सतीश पटेल ने बताया कि हाथीनाला वॉटरफॉल में पिकनिक मनाकर लौट रहे थे । शाम करीब साढ़े पांच बजे हम लोग रोड किनारे खड़े होकर मोबाइल से सेल्फी ले रहे थे इसी दौरान पीछे से डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक ने गाड़ी रोकने की कोशिश भी नहीं की और सीधे रफ्तार बढ़ाते हुए वाहन को आगे निकाल ले गया। हाईवा कहीं से भी न तो बहका था और न ही अनियंत्रित हुआ था। ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी को हमारी तरफ मोड़ा और सोची समझी साजिश के तहत हमला किया।

गहरी साजिश का शक

चश्मदीद विक्की पटेल ने बताया कि हम सभी दोस्त पिकनकि मनाकर लौटते वक्त सड़क किनारे खड़े थे तभी हाईवा आता है और टक्कर मारकर चला जाता है। रोड के किनारे हाईवा आकर कुचलता है तो शक तो है। हादसा बेहद दर्दनाक था। गहरी साजिश का शक है, पुलिस जांच कर रही है पूरी सच्चाई का पता चल जाएगा नाम सामने आएंगे।

मामला गंभीर, जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

आईजी, जबलपुर जोन प्रमोद वर्मा ने कहा कि मामला गंभीर है और जिसको देखते हुए गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज हुई है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है मामले की विस्तृत जांच जारी है जांच के बाद आगे जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

जंगल से डंपर जब्त, ड्राइवर फरार, तलाश जारी

नरसिंहपुर एसपी ऋषिकेश मीना ने बताया कि युवकों को कुचलने वाले डंपर को सुआतला के जंगल से जब्त कर लिया गया है। डंपर मालिक आनंद राजपूत निवासी बेलखेड़ा का है जो फरार है। जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है मामले की विस्तृत जांच जारी है जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी ।

सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों ने दर्ज क्यों नहीं की आपत्ति..

- मप्र मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर के बंटवारे का मामला
- जनसंगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर जताया आक्रोश

नवभारत, जबलपुर। ध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर का बंटवारा समूचे भारत में पहला उदाहरण बना है, जहां किसी राज्य के मेडिकल यूनिवर्सिटी को टुकड़ों में बांटा गया है। महाराष्ट्र, तामिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि बड़े राज्यों में भी मेडिकल यूनिवर्सिटी एक ही बनाए रखी गई है। ऐसे में क्या सोचकर मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर को ही टुकड़ों में बांटा क्यों गया है। यह प्रश्न उठाते हुए सोमवार को नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन, महिला समिति, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन और किसान समिति ने घंटाघर के पास विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान जन संगठनों ने जबलपुर के सत्तापक्ष के जनप्रतिनिधियों के सामने प्रश्न खड़ा किया है कि आखिर उन्होंने मेडिकल यूनिवर्सिटी के विखण्डन पर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की।

जबलपुर का घटता जा रहा कद

विरोध प्रदर्शन के दौरान जन संगठनों ने चिन्ता व्यक्त की कि जबलपुर में संस्थाओं में विखण्डन का सिलसिला कब तक चलेगा। हाईकोर्ट, विद्युत मण्डल, कृषि विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय आदि कई संस्थाओं का विखण्डन हो चुका है। जिससे जबलपुर का कद घट गया है। विरोध प्रदर्शन में डॉ.पी.जी. नाजपाण्डे, टी. के. राय घटक, डी. के. सिंह, सुभाष चन्द्रा, सुशीला कनौजिया, संतोष श्रीवास्तव, राजेश गिदरोनिया, उमा दाहिया, मनीषा अग्रहरि, ममता पटेल, पी.एस. राजपूत, हरजीवन विश्वकर्मा, अर्जुन कुमार परीड़ा, नन्दकिशोर सोनकर, दिलीप कुंडे, अशोक नामदेव, विनायक सोरते, के.सी. सोनी, अब्दुल रहमान आदि शामिल थे।

बुजुर्ग महिला को आरपीएफ ने परिवार से मिलाया

जबलपुर। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आंध्र प्रदेश की रहने वाली करीब 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को ऑपरेशन डिग्निटी के तहत आरपीएफ ने दो दिन की लगातार खोजबीन के बाद सकुशल तलाश कर उनके परिजनों से मिला दिया। महिला 17 जुलाई को गाड़ी संख्या 03252 से प्रयागराज जाते समय गलती से जबलपुर स्टेशन पर उतर गई थीं और परिवार से बिछड़ गईं।

केवल तेलुगु भाषा जानने के कारण वह किसी से संवाद नहीं कर पा रही थीं। सूचना मिलते ही आरपीएफ ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, स्टेशन परिसर, रेलवे यार्ड, सर्कुलेटिंग एरिया सहित संभावित स्थानों पर तलाश की और सोशल मीडिया के माध्यम से भी महिला का फोटो साझा कर खोज अभियान चलाया। खोज के दौरान महिला की तीन बेटियां और दो नाती भी जबलपुर पहुंचे तथा आरपीएफ के साथ मिलकर तलाश में जुटे।

सुरक्षित मिली महिला

आखिरकार एक व्यक्ति से सूचना मिलने पर विजयनगर बस स्टैंड के पास महिला सुरक्षित मिली, जिसके बाद आरपीएफ टीम उन्हें पोस्ट लेकर पहुंची और परिजनों ने उनकी पहचान की। महिला से मिलते ही परिवार भावुक हो उठा। आरपीएफ ने महिला व उनके परिजनों को भोजन एवं जलपान उपलब्ध कराने के बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें सुरक्षित सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने आरपीएफ जबलपुर की त्वरित कार्रवाई, मानवीय संवेदनशीलता और समर्पित प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया।

मां को बच्चे से मिलने से नहीं रोक सकते : हाईकोर्ट

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में साफ किया कि महज संदेह के आधार पर किसी महिला को उसके बच्चें से मिलने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि मातृत्व पर शंका है तो संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन कर तथ्य सामने लाये जाये, कोर्ट ने दमोह निवासी रीना की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन को जन्म प्रमाणपत्र और अस्पताल के रिकार्ड का सत्यापन कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अंतरिम राहत देते हुए याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई तक प्रतिदिन सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक बच्चें से मिलने की अनुमति प्रदान की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिनव दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिका के साथ बच्चें का जन्म प्रमाणपत्र तथा जिला अस्पताल, दमोह की डिस्चार्ज टिकट प्रस्तुत की गई है, जिससे स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने ही बच्चें को जन्म दिया। इसके विपरीत संबंधित प्राधिकारी ने मातृत्व पर संदेह जताते हुए कहा कि अभिलेख पर्याप्त नहीं हैं। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रभांशु शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि इस संबंध में विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय चाहिए। इस पर अदालत ने तीन दिन का समय देते हुए निर्देश दिया कि सभी दस्तावेजों का सत्यापन कर तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत किया जाये।

जेल डीजी का हलफनामा गुमराह करने वाला, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

- कैदियों की डाइट, मेन्यू और भोजन व्यवस्था का पूरा ब्यौरा तलब, ऑडिट रिपोर्ट भी मांगी

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने कैदियों की भोजन व्यवस्था से जुड़े मामले में जेल एवं सुधार सेवाओं के महानिदेशक (डीजी जेल) डॉ. वरुण कपूर द्वारा प्रस्तुत हलफनामें पर कड़ी नाराजगी जताई है।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि हलफनामा न्यायालय को गुमराह करने वाला प्रतीत होता है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हिरासत में बंद कैदी से कुछ भी कहलवाया जा सकता है, इसलिए केवल उसके बयान के बजाय भोजन के समय, तय मेन्यू और आधिकारिक रिकार्ड प्रस्तुत किए जाने चाहिए। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि संतोषजनक हलफनामे प्रस्तुत नहीं किए गए तो जेल महानिदेशक और पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ सकता है।

दरअसल, यह मामला दहेज हत्या के प्रकरण में सजा काट रहे रीवा केंद्रीय जेल के बंदी अब्दुल माजिद की अपील से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने बंदी को लाने वाले पुलिस कर्मियों से भोजन व्यवस्था के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि कैदी के भोजन के लिए अलग से कोई राशि नहीं मिलती और वे अपने दैनिक भत्ते से ही भोजन कराते हैं।

इसे गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने पहले जेल प्रशासन से जवाब मांगा था। डीजी जेल की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि बंदी को रीवा जेल से रवाना होने से पहले चाय और चार रोटियां दी गई थीं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हलफनामा संतोषजनक नहीं है। न्यायालय ने कहा कि जेलों के निरीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि सामान्यत- सुबह 11 बजे तक भोजन तैयार नहीं होता। ऐसे में भोजन वितरण का पूरा शेड्यूल, तय मेन्यू और प्रत्येक कैदी के लिए निर्धारित भोजन की मात्रा रिकार्ड सहित प्रस्तुत की जानी चाहिये।

आज सुबह जबलपुर आएंगी कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन

नवभारत,जबलपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तेलंगाना राज्य की प्रभारी और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन मंगलवार सुबह ओवरनाइट एक्सप्रेस से जबलपुर पहुंच रही हैं। शहर कांग्रेस कमेटी जबलपुर के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने नवभारत को बताया कि आगमन के बाद वे सर्किट हाउस क्रमांक-2 में सुबह 9 बजे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। इस दौरान वे संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करने के साथ ही कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी करेंगी। इसके बाद वे विभिन्न निर्धारित कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर सायंकाल नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगी। शहर अध्यक्ष श्री शर्मा ने समस्त कांग्रेसजनों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर उनका आत्मीय स्वागत करें और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने राहगीर को कुचला, मौत

नवभारत, जबलपुर। हनुमानताल थाना अंतर्गत मथुरा सेठ की बाड़ी मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार ई-रिक्शा के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए राहगीर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल करीब युवक ने अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ दिया।

पुलिस के मुताबिक टेढ़ीनीम निवासी 19 वर्षीय फैजान अरबाज मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। वह अपने दोस्त फजल खान और मोहम्मद इरफान के साथ सिंधी कैम्प से डुमना की तरफ घूमने जा रहा था। जैसे ही वे मथुरा सेठ की बाड़ी मेन रोड डिवाइडर के पास पहुँचे, तभी ई-रिक्शा क्रमांक एमपी 20 जेड एच 0814 का चालक अपने वाहन को बेहद तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। उसने सड़क पार कर रहे युवक को ऐसी टक्कर मारी कि वह हवा में उछलकर दूर जा गिरा। दुर्घटना में युवक के सिर, दोनों हाथ-पैर और सीने में गंभीर चोटें आईं। खून से लथपथ युवक को तड़पता देख फैजान और उसके दोस्तों ने तुरंत उसे संभाला और इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल लेकर भागे। विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया।

शिनाख्तगी के प्रयास जारी

मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष है, लेकिन उसकी जेब से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। हनुमानताल पुलिस ने फैजान की शिकायत पर आरोपी ई-रिक्शा चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

24 घंटे में 20 .6 मिमी बारिश, आज भी गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट

- प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में मौसम विभाग की चेतावनी जबलपुर में आद्रता 95% तक पहुंची

जबलपुर। मानसून एक बार फिर सक्रिय है और मौसम विभाग ने सोमवार को जबलपुर सहित मध्यप्रदेश के कई जिलों के लिए गरज-चमक, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में जबलपुर में 20.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 15.6 मिमी बारिश हुई। इसके साथ ही जिले में इस मानसून सीजन की कुल वर्षा 225 मिमी पहुंच गई है।

मौसम विज्ञान कार्यालय के अनुसार सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य के आसपास रहा। लगातार बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ गई और आद्रता 90 से 95 प्रतिशत के बीच बनी रही, जिससे उमस का भी असर महसूस किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार को भी जिले के अनेक क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण-पश्चिम दिशा से 4 से 5 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं कहीं-कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका भी जताई गई है। उधर, प्रदेश स्तर पर भी मौसम विभाग ने जबलपुर, सहित 40 से अधिक जिलों में मध्यम गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। कई अन्य जिलों में भी हल्की बारिश और गरज-चमक का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े न हों, अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें तथा किसान फसलों और मवेशियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम पहले से कर लें।

सेवानिवृत्त रेलकर्मी की पेंशन से रिकवरी पर रोक

जबलपुर। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कैट के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अखिल कुमार श्रीवास्तव प्रशासनिक सदस्य मल्लिका आर्या की युगलपीठ ने पश्चिम मध्य रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन से की जा रही रिकवरी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अधिकरण ने रेलवे को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर 2026 को होगी।

आक्रोश ▶ प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार लीक हो रहे पेपर को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश

पेपर लीक के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा

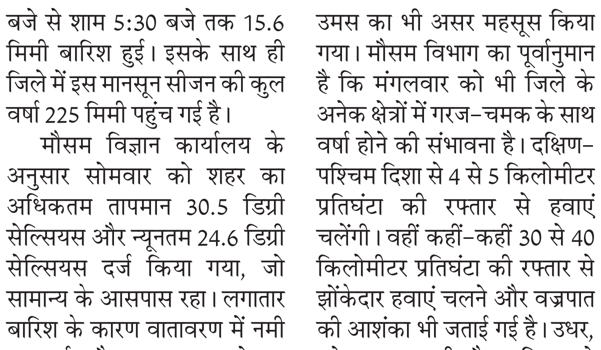

नवभारत, जबलपुर। मालवीय चौक पर सोमवार को परीक्षाओं में गड़बड़ी के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा व्यवस्था की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। तेज बारिश के बावजूद छात्र-छात्राओं ने मुख्य मार्ग से जुलूस निकाला और केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों के प्रति अपना विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में जारी जनआंदोलन को अपना समर्थन दिया और शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहे नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने की कार्रवाई की निंदा की। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो इस राष्ट्रीय संकट के खिलाफ देशव्यापी छात्र जागृति अभियान शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह शासन की होगी। संबोधन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि बार-बार होने वाले पेपर लीक ने पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है। बरसों तक मेहनत करने वाले प्रतियोगी छात्रों का भविष्य दांव पर होने से व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति ने मांग रखी कि इन मामलों की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, दोषियों को सजा मिले और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून बने ताकि भविष्य में किसी भी विद्यार्थी के साथ अन्याय न हो।

मांगें पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी- पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस विरोध का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, बल्कि यह करोड़ों विद्यार्थियों के हक और न्याय की लड़ाई है। शासन स्तर पर इन मांगों पर जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाने पर आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और तेज करने की चेतावनी दी गई। इस आयोजन में समिति के सुबोध रिछारिया, रामरतन यादव, घनश्याम यादव, रुचिरा गुप्ता, बैजनाथ कुशवाहा, अरविंद कुशवाहा और धर्मेंद्र कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57